

आदेश की सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी और तारीख

29.01.2019

न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-183/2016

राज्य

बनाम

1. रामबाबू साह, पिता-जगदीश साह, सा०-शनि मंदिर गुलाबबाग,
थाना-सदर, जिला-पूर्णिया। (जप्त Motorcycle No.-BR11Y-
7559 के स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद सदर थाना कांड सं०-147/2016 दिनांक 14.05.16 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 6002/हि०शा० दिनांक-21.12.2018 द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन की जाँच दिनांक 14.05.16 को बरसौनी चौक के पास की गई। जांच के क्रम में जप्त वाहन से Imperial Blue का 08 बोतल एवं Royalstag Whisky का 12 बोतल विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में वाहन मालिक द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 23.08.16 का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि जप्त वाहन से शराब बरामद होने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आवेदक इस वाद में बेल पर न्यायालय से मुक्त हैं। जप्त वाहन खुले आकाश के नीचे रखा हुआ है। जिससे आवेदक के साथ-साथ देश को भी नुकसान हो रहा है। आवेदक बन्धपत्र देने के लिए तैयार हैं। अतएव जप्त वाहन को मुक्त किया जाय।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन की जाँच दिनांक 14.05.16 को बरसौनी चौक के पास की गई। जांच के क्रम में जप्त वाहन से Imperial Blue का 08 बोतल एवं Royalstag Whisky का 12 बोतल विदेशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। वाहन मालिक द्वारा जप्त


W


शराब के संबंध में अपने आवेदन अंतर्गत किसी प्रकार का तथ्य नहीं रखा गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, वाहन मालिक से प्राप्त आवेदन, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षी का आवेदन संतोषप्रद नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त **Motorcycle No.-BR11Y-7559** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


समाहर्ता,
पूर्णिया।


समाहर्ता,
पूर्णिया।